an>

title: Need to amend Indian Fisheries Act, 1897 to check illegal fishing.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) ः महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी के पारम्परिक और दूसरे राज्यों के पर्सिसटेन्ट मछुआरों के बीच हमेशा टकराव होता है। इस टकराव का मुख्य कारण समुद्र में मोटर चालित बड़ी नौकाओं और मछली पकड़ने वाले ट्रालरों का पारम्परिक मछुआरों के आरक्षित जल क्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ना है। इसके लिए भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 4) में सुधार को और सख्त बनाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 4) के प्रावधानों को सख्त बनाया जाए और अवैध रूप से मछली पकड़ने पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान कर इस पर अमल करने का प्रावधान किया जाए।